

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रामपाल पुत्र बोंदुराम जाति रेगर बनाम
सा. खोरण्डी तह. नावां


बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
बोंदुराम पुत्र मानाराम जाति रेगर वगै.
सा. खोरण्डी तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आर.टी.ए.

मुकदमां नम्बर 39 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर द तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
01.03.2021	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल बिजारणियां ने इसी अनुवान के वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया सामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 575 रकबा 6.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.52 हैक्टर भूमि में बोंदुराम पुत्र मानाराम की खातेदारी भूमि का रहन/बैचान/हस्तानान्तरण नहीं करें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 एवं अप्रार्थी संख्या 74, 75, 76 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.04.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>८/१/२१ पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार ब्यारे है पत्रावली दिनांक 10/5/21 को पेश हो।</p> <p>10/5/21 पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के तहत लॉक डाउन होने के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व साविया अनुसार दिनांक 16/8/21 को पेश है।</p> <p>16/8/21 अधिवक्ता प्रार्थी उपर अग्रार्थीगण की तलबी पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8/9/21 को पेश हो।</p> <p>8/9/21 उपपत्र उपर अग्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से मूल वाद में वकालतनामा पेश हो चुका है। पत्रावली वास्ते वकालत तलबी व जवाब दिनांक 10/9/21 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम की हुक्म की म जारी हु
5/10/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 10/12/21 को पेश हो।</p> <p>10/12/21 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजीर/ गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी/प्रतिवादीगण हाजीर/ गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 28/2/22 को पेश हो।</p>	
28/2/22	<p>उग्रपपत्र उपर बकाया की तलबी पेश करें। मिं डिं 26/4/22 को पेश हो।</p>	
26/4/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 22/6/22 को पेश हो।</p>	
22/6/22	<p>उग्रपपत्र उपर पूर्व आदेश की पालना करने हेतु रिहायत की गयी मिं डिं 31/8/22 को पेश हो।</p>	
31/8/22	<p>उग्रपपत्र उपर बकाया की तलबी पेश की जा जाती होकर पत्रावली दिं 23/11/22 को पेश हो।</p>	
23/11/22	<p>उग्रपपत्र उपर बकाया की तलबी पेश की जा जारी होकर पत्रावली दिं 24/11/23 को पेश हो।</p>	

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>26/11/22 पत्रावली पेडा हुई प्राची मय अधिकार उपबिल्ट होकर उक्त पत्रावली को अतिरिक्त विज्ञापन खातिर कानून का प्रा० पत्र प्राप्त का निवेदन किया कि प्राचीपत्र में राजीनामा हो जाने से उक्त पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहिए है।</p> <p>अतः प्राची का प्रा० पत्र स्वीकार किया अतः प्राची का उक्त प्राचीपत्र अतिरिक्त विज्ञापन खातिर किया जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर खातिर कृपा व नम्बर से कम ही</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) </p>	<p style="text-align: center;">2 भाग 2 1</p>